जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण हक हिस्से व कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी करने, बेदखल करने, रहन विक्रय आदि करने पर आमादा है सो अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी पेशी दिनांक 28.11.25 तक ग्राम बगडिया का बास, प0ह0 डूकिया भू0अ0नि0 क्षेत्र डूकिया तहसील दांतारामगढ़, सीकर के वादग्रस्त आराजी ख0नं0 606 रकबा 1.7200 है0 ख0नं0 608 रेगा 1.6100 है0 ख0नं0 609 रकबा 1.6100 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.9400 है0 के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे। यह अन्तरिम आदेश प्रचलित, कटानशुद्धा, रिकोर्डेड रास्तों पर एंव विधुत कनेक्शन के लिए लागू नहीं रहेगा।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियॉ रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत भी करें अन्यथा आगामी तारीख पेशी पर एक पक्षीय अन्तरिम स्थगन स्वतः ही वैकेट हो जायेगा। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरित अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम (3)(क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.11.2025 तक ही उक्त आदेश प्रभावी रहे व तत्पश्चात् उक्त अन्तरिम आदेश हेतु पुनः विचार कर आगामी कार्यवाही हो। पत्रावली आईन्दा दिनांक 28.11.2025 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर

28/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी ने सुनवाई के दौरान निवेदन किया कि आवेदन पत्र अ0धा0 212 RT Act में अस्थायी [illegible] नहीं चाहते है।

Not pressed [illegible]

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

नोट प्रेस कैंसलेशन करवाना चाहे। वर्णित
प्रार्थी के आधे पेज पर हस्ताक्षर करवाये
गये। अतः वर्णित प्रार्थी के अनुरोध पर
आवेदन पत्र का धारा 212 बीएनएस प्रार्थी
नोट प्रेस कैंसलेशन किया जाता है। पत्रावली
शेष अनुसंधान होकर कोई कार्यवाही आवश्यक
नहीं है। निर्णय आज दिनांक 20/11/25
को पुलिस कार्यालय में भिजवाया जावे।

[illegible signature]
सहायक कमाण्डर (पु.) सीकर